

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या:...../विकास/

दिनांक:.....

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त प्रधान अन्वेषक,
सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

विषय—सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के उपयोग तथा आउटकम के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद 619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 के पत्रांक 326/रा0उ0शि0प0/4/10II दिनांक 19.07.2022 द्वारा सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता विवरण निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह के अन्दर उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को ई-मेल आई0डी0-upshec@gmail.com एवं उच्च शिक्षा अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन को ईमेल आई0डी0-highereducation485@gmail.com पर उपलब्ध कराने के साथ हार्ड कापी भी प्रेषित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं आउटकम रिपोर्ट अधिकतम दो पृष्ठ की तैयार कर समेकित रूप से आउटकम रिपोर्ट में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि इसका एकेडमिक आउटपुट क्या है, यदि योजनान्तर्गत पद सृजित हुये हैं, तो उसमें कितनी नियुक्तियाँ की गयी हैं, इसका भी उल्लेख किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन द्वारा निर्देशित सूचना दिनांक 05.08.2022 तक उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को ई-मेल आई0डी0-upshec@gmail.com एवं उच्च शिक्षा अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन को ईमेल आई0डी0-highereducation485@gmail.com पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ एक प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विद्यानन्द त्रिपाठी)

कुलसचिव

पत्रांक P5/14371-430 दिनांक 29/07/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1-निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
- 2-समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/ल0वि0वि0, लखनऊ।
- 3-वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

✓ 4-प्रभारी, यू0डी0आर0सी0/कम्प्यूटर सेन्टर, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त समस्त को सूचित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव



कुल सचिव का कार्यालय
उच्च शिक्षा
संख्या 7-120
दिनांक 26/7/22
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ-226007

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक 326/रा0उ0शि0प0/4/10 II
दिनांक : 19 जुलाई, 2022

1-273 सेवा में,

कुल सचिव/वित्त अधिकारी,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना से आच्छादित)

विषय : सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के उपभोग तथा आउटकम व सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अन्तर्गत प्रेषित प्रस्तावों का परीक्षण उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा शासक स्तर से गठित विशेषज्ञ समिति से कराकर संस्तुतियां प्रेषित की जाती हैं। समिति द्वारा उपलब्ध कराई गयी संस्तुतियों के दृष्टिगत शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की जाती हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोगिता विवरण राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा समय से नहीं प्रेषित किया जाता है तथा प्रोजेक्ट के आउटकम से भी अवगत नहीं कराया जाता है, जिससे अग्रेतर उपलब्ध कराये प्रस्तावों पर विचार किया जाना समीचीन नहीं हो पाता है।

अतः अनुरोध है कि निम्न वर्षों में उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता विवरण निम्नवत् निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह के अन्दर उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को ई-मेल आईडी0-upshec@gmail.com एवं उच्च शिक्षा अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन की ईमेल आई.डी.-highereducation485@gmail.com पर प्रेषित करते हुये हार्ड कापी भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

क्र. सं.	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि (रु०)	उपभोग की गयी धनराशि (रु०)	अवशेष धनराशि (रु०)
1.		2017-18			
2.		2018-19			
3.		2019-20			
4.		2020-21			
5.		2021-22			

2- विश्वविद्यालयों से सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रस्ताव का उपयोगिता प्रमाण प एवं आउटकम रिपोर्ट अधिकतम दो पृष्ठ की तैयार कर समेकित रूप से उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करायी जाय। आउटकम रिपोर्ट में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि इसका एकेडमिक आउटपुट क्या हुआ है, यदि योजनान्तर्गत पद सृजित हुये हैं, तो उसमें कितनी नियुक्तियाँ व गयी हैं, इसका भी उल्लेख अवश्य किया जाय। आउटकम रिपोर्ट प्रत्येक दशा में दिनांक 05 अगस्त 2022 तक उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करा दी जाय। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय।

FO/03.(Project)

भवदीय 19.7.22

(प्रो0 आर0के0 चतुर्वेदी)
अपर सचिव

पत्रांक : - / - / - तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

(प्रो0 आर0के0 चतुर्वेदी),
अपर सचिव